न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व वाद संख्या 60/2018

नाथी पुत्री मॉंगीलाल जाति गूजर निवासी ग्राम राजपुरा तहसील सावर जिला अजमेर

--वादीयॉं

बनाम

1.गौरी पत्नि भैरू जाति गूर्जर
2.रामनिवास पुत्र भैरू जाति गूर्जर
3.प्रेम पुत्री भैरू जाति गूर्जर
4.हीरा पत्नि भैरू जाति गूर्जर
5.श्यौंजी पुत्र भैरू जाति गूर्जर
6.गोपिया पुत्री भैरू जाति गूर्जर
7.रंगलाल पुत्र भैरू जाति गूर्जर
8.सोराज पुत्र भैरू जाति गूर्जर
9.मुकेश पुत्री भैरू जाति गूर्जर
10.हंसराज पुत्र भैरू जाति गूर्जर
निवासीगण राजपुरा तहसील सावर जिला अजमेर
11.हरनिवास पुत्र भैरू जाति गूर्जर निवासी ग्राम ऊंकारपुरा तहसील सावर
12.गोपीलाल पुत्र देवी जाति गूर्जर निवासी राजपुरा तहसील सावर
13.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर (राजस्थान)

–प्रतिवादी

वादपत्र अंतर्गत धारा 88,188,92ए,209राज0 काश्तकारी अधि0

उपस्थित:– श्री मगनलाल लोधा– वकील वादीयॉं
श्री असलम शेर खान्–प्रतिवादी संख्या 4 से 11
पैरोकार सरकार – प्रतिवादी संख्या 13

निर्णय

दिनांक 16·10·20

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा **88,188,92ए,209राज0**राजस्थान काश्त0 अधिनियम के तहत पेश कर ग्राम तहसील सावर की निम्नवर्णित आराजीयात वाकै ग्राम ऊंकारपुरा की खातेदारी घोषित करने व प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का निवेदन किया है :–

विवरण आराजीयात

खाता नंबर नया– पुराना	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
46–45	114	0.21	बारानी 3
	115	0.24	बारानी 3
	120/1	0.12	चाही 2,जाव 2
	125/1	0.23	बारानी दोयम
	126/1	0.07	बीड़
	12[illegible]/1	0.12	चाही दोयम
	482/1	[illegible]	बारानी प्रथम
	483/1	[illegible]	बारानी 1
	484/1	0.03	बारानी 1
	487/1	0.45	पेटा ता[illegible]
	488	0.19	चाही द[illegible]
	493/1	0.39	चाही 2
	494/1	0.03	बारानी 3

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:07:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

	495	0.05	
	496/1	0.05	बारानी 3
	498/1	0.30	बारानी 3
	499/1	0.12	बारानी 3
	500/1	0.20	चाही दोयम
	501/1	0.24	चाही दोयम
	502/1	0.38	चाही दोयम
	505/1	0.42	चाही दोयम
	505/955/1	0.22	चाही 2,जाव 2
	508/1	0.21	बारानी दोयम
	कुल किता 23	4.43 है0	बारानी दोयम

खाता नंबर नया– पुराना	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
105–600	539/956	0.10	बारानी 1
	541	0.45	पेटा तालाबी 2
	542	0.44	पेटा तालाबी 2
	543	1.15	पेटा तालाबी 2
	544	1.52	बारानी 1
	545	0.49	चाही 3,जाव 3
	कुल किता 6	4.15 है0	

उक्त वर्णित आराजीयात वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 की पैतृक व पुश्तैनी आराजीयात है। जो बहैसियत वारिसान मृतक भैरू व सणगारी वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के संयुक्त कब्जे काश्त व उपयोग,उपभोग मे चली आ रही है। उक्त वर्णित आराजीयात वादिया का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 का भी 1/2 हिस्सा है। व इसी हिस्से के अनुसार संयुक्त कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे चली आ रही है। संयुक्त रूप से काश्त कर फसल प्राप्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 की पैतृक पुश्तैनी आराजीयात है। जिसमे वादिया का 1/2 हिस्सा है। व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 का भी 1/2 हिस्सा है। इसी हिस्से अनुसार संयुक्त कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे चली आ रही है। तथा संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। निम्न वर्णित आराजीयात भी वादियां व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 की पैतृक व पुश्तैनी आराजीयात है। जिसमे वादिया का 1/4 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 12 गोपीलाल का 1/2 हिस्सा है। व इसी हिस्से अनुसार वादिया व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त उपयोग व उपभोग मे चली आ रही है।

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
46–45	116	0.04	गै.मु.कुई
	496/2	0.06	बारानी 3
	497	0.02	गै.मु.डोहरी
	498/2	0.12	बारानी 3
	504	0.20	गै.मु.पाल
	कुल किता 5	0[illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:07:48 IST
Reason: SelfAttested

वादियां व भैरू के पिता [illegible]लाल व माता [illegible]यारी की मृत्यु के बाद उक्त वर्णित आराजीयात को अकेले भैरू पुत्र मांगीलाल के नाम दर्ज कर दी गई है। जो कतई गलत अवैध शुन्य एवं प्रभावहीन है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्या[illegible]चित है। उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे वादियां ने अपने नाम दर्ज करवाने हेतु राजस्व अधिकारियों को कई बार निवेदन किया परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः वाद पेश करना आवश्यक हुआ। वादवर्णित आराजीयात मे वादिया का 1/2 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11को 1/2 हिस्से

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादीगण की नियत बद है,तथा वादवर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे वादियां का नाम दर्ज नहीं होने का नाजायज फायदा उठाते हुए वादिया के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न करते है तथा मना करने पर लड़ाई–झगड़ा करते है जिसे रोका जाना न्यायोचित है। करीब 2 माह पहले प्रतिवादीगण,वादियां की उक्त आराजीयात पर आये तथा वादिया को धमकी दी कि उक्त आराजीयात हमारे पिता के अकेले की आराजीयात हैं जिस पर तुम्हे काश्त नहीं करने देगे। और सम्पूर्ण आराजीयात पर हम ही कब्जा करेगे। इसलिए वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वाद वर्णित आराजीयात मे खाता संख्या 46–45 किता 23 रकबा 4.43 है0 मे वादिया को 1/2 हिस्से का व खाता संख्या नया–पुराना 46–45किता 5 रकबा 0.44 है0 की आराजीयात मे 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादीगण के साथ इसी हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि उक्त वादवर्णित आराजीयात के संयुक्त कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे बाधा नही पहुचावे और न ही वादियां को उक्त आराजीयात से बेदखल करे। वादियां को वाद पेश करने का मूल कारण दिनांक 15.01.2018 को प्रथम बार उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने वादियां को बेदखल करने की धमकी दी। व रेकार्ड का अवलोकन करने पर वादियां का नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी होने पर उत्पन्न हुआ और दिन –प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। प्रतिवादी संख्या 13 लैण्ड होल्डर होने से व रेकार्ड का संधारण करते है इसलिए फरीक मुकदमा बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 12 सहखातेदार होने से फरीक मुकदमा पक्षकार बनाया गया है। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से निर्धारित न्याय शुल्क चस्पा किया गया है। वादिया ने वाद की डिकरी बहक वादिया,खिलाफ प्रतिवादीगण जारी करने की प्रार्थना कि है कि वादपत्र मे वर्णित आराजीया खाता संख्या नया–पुराना 46–45 किता 23 रकबा 04.43 है0 मे वादिया का 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 1लगायत 11 को 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जाकर वादियॉ का 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे। खाता संख्या नया–पुराना 46–45 किता 5 रकबा 0.44 वादियॉ को 1/4 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 12 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जाकर वादियॉ का 1/4 हिस्सा दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण, उनके नोकर–चाकर ,प्रतिनिधि, हाली, सीरी, सगे–संबंधी आदि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे वादिया के संयुक्त कब्जे काश्त के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। न ही ऐसा कोई कार्य करे जिससे वादियां अपने हिस्से की आराजीयात से बेदखल हो। प्रकरण न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 से 11 की और से अभिभाषक श्री असलम शेर खान् ने वकालतनामा व जवाब दावा प्रस्तुत किया। जवाबदावा के अतिरिक्त कथन मे प्रतिवादीगण संख्या 4 से 14 को वादवर्णित आराजीया तमे वादिया का नाम दर्ज किया जाने मे कोई आपत्ति जाहिर नहीं होना बताया गया। प्रतिवादी संख्या 2,3.12 के खिलाफ दिनांक 20.07.18 को बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड ए0डी0 से सम्मन प्रेषित करने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ दिनांक 21.11.19 को एक्सपार्टी की गई तथा सरकार को जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया गया। दिनांक 24.02.2020 तक जवाब सरकार प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब सरकार बंद किया गया। प्रतिवादीगण 4 लगायत 14 की तरफ से सहमति का जवाब प्रस्तुत होने व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एवं जवाब सरकार बंद होने के उपरान्त वादिया ने वादियॉ साथी पुत्र मॉगीलाल गूर्जर ने जरिये शपथपत्र पी0डबल्यू 1 प्रस्तुत कर स्वय का परीक्षित करवाया,दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। ईएक्सपी.1 जमाबंदी वर्किंग संवत 2041–43 ग्राम उंकारपुरा खाता संख्या 64–89,ईएक्सपी.3 जमाबंदी 2049–53ग्राम उंकारपुरा,ईएक्सपी.4 जमाबदी वर्किंग संवत् 2041,ईएक्सपी.5 2049–53 ग्राम उंकारपुरा,ईएक्सपी.6 संवत्2070–73,ईएक्सपी.7 जमाबंदी संवत् 2070–73,ईएक्सपी.8 मिलान क्षैत्रफल औकारपुरा,ईएक्सपी.9 मिलान क्षैत्रफल औकारपुरा, ईएक्सपी.10 सजरा प्रमाण पत्र फोटो प्रति पहचान पत्र पेश किये। वादियां ने दावा डिकरी किया जाने की प्रार्थना की। पी.ड्बल्यु.2 श्रवण पुत्र मोहन लाल गूर्जर ने शपथपत्र प्रस्तुत कर वादियां के दावे का समर्थन किया। प्रतिवादीगण शहादत करवाना नही चाहते है। अतः उनकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:07:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

शहादत बंद की जाती है। बहस वादीयां के वादपत्र पर सुनी गई। वादीयां के लायक अभिभाषक श्री मगनलाल लोधा ने अपनी बहस प्रारंभ करते हुए वादपत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अवगत कराया कि वादिया नाथी मांगीलाल गूर्जर की पुत्री है। मांगीलाल पुत्र सुखा की मृत्यु हो चुकी है। मांगीलाल के तीन वारिस सणगारी– पत्नि,भैरूलाल–पुत्र, नाथी–पुत्री थे। बाद मे सणगारी की भी मृत्यु हो चुकी है। अतः फौत शुदा मांगीलाल पुत्र सुखा व सणगारी पत्नि मांगीलाल के वारिस भैरू पुत्र मांगीलाल,व नाथी पुत्री मांगीलाल थे। वर्तमान मे भैरू पुत्र मांगीलाल की भी मृत्यु हो चुकी है। भैरू पुत्र मांगीलाल के विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाव प्रस्तुत करते हुए वादियां के दावे की पुष्टि की है। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना गेर हाजिर रहे है। प्रतिवादी संख्या 13 का जवाब प्रर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद बंद किया जा चुका है ऐसी स्थिति मे वादिया का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 4 से 11 के लायक अभिभाषक श्री असलम शेर खान ने वितर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि जवाव दावे के अनुसार वादिया का स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 ने वादिया से किसी प्रकार का लड़ाई–झगड़ा नहीं किया है।

अनुतोष

ग्राम औकारपुरा की तहसील सावर की जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता संख्या नया–पुराना 46–45 किता 23रकबा 4.43 है0मे वादिया का हिस्सा 1/2 तथा खाता संख्या नया–पुराना 105–600किता 6 रकबा 4.15 है0 मे वादिया का 1/2 हिस्सा, व खाता संख्या 46–45 किता 5 रकबा 0.44 है0 मे वादिया का 1/4 हिस्सा अनुसार नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज करवाने का दावा स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

निर्णय

ग्राम औकारपुरा की तहसील सावर की जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता संख्या नया–पुराना 46–45 किता 23रकबा 4.43 है0 जो भैरु पुत्र मांगीलाल गूर्जर के नाम दर्ज है मे वादिया का हिस्सा 1/2 तथा खाता संख्या नया–पुराना 105–600किता 6 रकबा 4.15 है0 मे वादिया का 1/2 हिस्सा, व खाता संख्या 46–45 किता 5 रकबा 0.44 है0 मे जो गोपी पुत्र देवी,भैरू पुत्र मांगीलाल की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है, मे मांगीलाल के हिस्से 1/2 मे से आधा यानि कुल खाते मे से वादिया का 1/4 हिस्सा अनुसार नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज करवाने का दावा स्वीकार किया जाता है। अतः वादवर्णित आराजी वाकै औकारपुरा तहसील सावर की जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता संख्या नया–पुराना 46–45 किता 23रकबा 4.43 है0 व नया–पुराना 105–600किता 6 रकबा 4.15 है0 मे वादियां को 1/2 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को 1/2 हिस्से का व खाता संख्या 46–45 किता 5 रकबा 0.44 है0 मे जो गोपी पुत्र देवी,भैरू पुत्र मांगीलाल की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है, मे मांगीलाल के हिस्से 1/2 मे से आधा यानि कुल खाते मे से वादिया का 1/4 हिस्सा अनुसार नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज [illegible] राजस्व रेकार्ड मे अमल [illegible] किया जावे। खर्चा फरिकेन दरामद की कार्यवाही करे। इस आशय का डिकरी [illegible] अपना अपना वहन करे।

निर्णय सरे इजलास [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:07:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)
(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner